नगर निगम, गाजियाबाद

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन

(ऑडिट रिपोर्ट)

वर्ष 2020–21

(नगर निगम लेखा नियमावली के
नियम 77(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत)

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक।

प्रेषक,

मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

नगर निगम, गाजियाबाद

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास अनुभाग–7,
बापू भवन, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

पत्रांकः– 71 / मु0न0ले0परी0 / 2021–22 दिनांकः–14 / 12 / 2021

विषयः–नगर निगम गाजियाबाद का वित्तीय वर्ष 2020–21 का वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अनुसार नगर निगम गाजियाबाद का वर्ष 2020–21 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार उ0प्र0 लखनऊ।
2. माननीय महापौर महोदया, नगर निगम गाजियाबाद।
3. नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम गाजियाबाद।
4. लेखाधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।
5. सदन सचिव, नगर निगम गाजियाबाद।
6. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) को नगर निगम वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(विवेक सिंह)
मुख्य नगर लेखा परीक्षक
नगर निगम गाजियाबाद।

नगर निगम, गाजियाबाद
वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन
(वित्तीय वर्ष 2020–21)

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका लेखा नियमावली के नियम–77(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तीन भागों यथा–(1) अनिस्तारित आपत्तियों की अद्यावधिक सूची, प्राविधिक त्रुटियाँ एवं अनियमितताओं का वर्णन तथा (2) मासिक रिपोटों में प्राधिकारियों को संज्ञान में लाई गई सामान्य तथा महत्वपूर्ण मामलों से समाविष्ट लेखा परीक्षा टिप्पणी में प्राधिकारियों द्वारा उस पर की गयी कार्यवाही तथा नगर निगम की वित्तीय स्थित को दर्शाने वाला विवरण (3) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप में रिपोर्ट जिसे सरकार या नगर निगम गाजियाबाद से लेखा परीक्षा के अंश के रूप में आच्छादित किये जाने की अपेक्षा की गयी है, के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है:–

भाग प्रथम

1. **प्रशासन:–**

   प्रतिवेदित वर्ष (2020–21) में दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2021 तक श्रीमती आशा शर्मा महापौर रहीं। इस अवधि में 01.04.2020 से 17.08.2020 तक डा0 दिनेश चन्द्र सिंह (आई.ए.एस.) एवं दिनांक 18.08.2020 से सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष तक़ श्री महेन्द्र सिंह तंवर (आई.ए.एस.) नगर आयुक्त पद पर रहे।

2. **सम्परीक्षण:–**

   प्रतिवेदित वर्ष 2020–21 में श्री अरूण कुमार सिंह, मुख्य नगर लेखा परीक्षक के पद पर तथा डा0 रज़िया बेगम, लेखा परीक्षक के पद पर सम्पूर्ण वर्ष कार्यरत रहे।

3. **अनिर्णीत आपत्तियां:–**

   नगर महापालिका लेखा नियमावली के नियम–76 के अनुसार सम्परीक्षा विभाग द्वारा लिखे गये आपत्ति विवरण पत्र विभागाधिकारियों द्वारा प्राप्त करने पर अधिक से अधिक 15 दिन के अन्दर उत्तर सहित उनके अपने हस्ताक्षरों से वापस कर देना आवश्यक है, किन्तु अधिकांश विभागाधिकारियों पर इस नियम के अनुपालन के सम्बन्ध में कोई प्रभावी अंकुश न होने के कारण लेखाओं की सम्परीक्षा करने व कराने का सारा मन्तव्य ही विफल हो जाता है।

   वर्ष 2020–2021 में सम्परीक्षा द्वारा उठाई साधारण आपत्तियाँ–09

भाग–द्वितीय

1. <u>वित्तीय स्थिति–(2020–21)</u>

I. सम्परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार वर्ष 2020–21 की वित्तीय स्थिति निम्नवत थीः–

1–04–2020 को अथशेष (Opening Balance)

(क) सामान्य रोकड़ बही के अनुसार	:–	3,45,70,18,035.19
(ख) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 रोकड़ बही के अनुसार	:–	8,54,03,675.00
योग	:–	**3,54,24,21,710.19**

II. वर्ष 2020–2021 की आय

(क) सामान्य रोकड़ बही के अनुसार	:–	5,73,97,39,370.57
(ख) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 रोकड़ बही के अनुसार	:–	28,45,298.00
योग	:–	**5,74,25,84,668.57**

प्रारम्भिक अथशेष सहित कुल योगः– **9,28,50,06,378.76**

III. वर्ष 2020–21 में व्यय

(क) सामान्य रोकड़ बही के अनुसार	:–	5,47,20,78,456.00
(ख) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 रोकड़ बही के अनुसार	:–	शून्य
योग	:–	5,47,20,78,456.00

VI. 31–03–2021 को इतिशेष(Closing Balance) गणनानुसार	:–	3,81,29,27,922.76
31–03–2021 को इतिशेष रोकड़बही के अनुसार	:–	3,81,29,27,922.76
(क) सामान्य रोकड़ बही	:–	3,72,46,78,949.76
(ख) यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 रोकड़ बही के अनुसार	:–	8,82,48,973.00
योग	:–	**3,81,29,27,922.76**

V. 31–03–2021 को बैंक विवरण के अनुसार शेष–अज्ञात।

टिप्पणीः–

1. बैंक पासबुक सम्परीक्षा में अनुपलब्ध रही इसे प्रस्तुत करके जमा का सत्यापन कराया जाये।
2. बैंक समाधान विवरण बनाकर (अन्तर यदि हो) सत्यापन कराया जाये।

सम्परीक्षा में पाई गई आपत्तियों का विवरण तथा सम्परीक्षण टिप्पणीः–

1. **विभिन्न करों की वसूली हेतु समुचित कार्यवाही न करने से राजस्व की क्षतिः–**

आलोच्य वर्ष 2020–21 में राजस्व करों की वसूली का विवरण निम्नवत हैः–

क0सं0	कर विवरण	बजट के अनुसार अनुमानित आय	वर्ष 2020–21 की वास्तविक आय	कम आय	कमी का प्रतिशत
1	गृहकर	75,00,00,000.00	58,09,32,922.00	16,90,67,078.00	22.54%
2	सीवरकर	25,00,00,000.00	20,49,58,068.00	4,50,41,932.00	18.01%
3	विज्ञापन कर	10,00,00,000.00	80,89,487.00	9,19,10,513.00	91.91%
4	प्रेक्षा कर	20,00,000.00	5,37,420.00	14,62,580.00	73.12%

टिप्पणीः–

1. समस्त जोन की मांग वसूली पंजी प्रस्तुत करके गृह कर, जल कर, एवं सीवर कर की मांग वसूली तथा बकाया का सत्यापन कराया जाए।
2. कर निर्धारण सूची प्रस्तुत करके उपर्युक्त मांग का सत्यापन कराया जाए।
3. उपर्युक्त विवरण के अनुसार विज्ञापन कर एवं प्रेक्षा कर से वसूली की स्थिति अत्यन्त ही कम है। इसके बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्यवाही से सम्परीक्षा को भी अवगत कराया जाए।
4. गाजियाबाद शहर में विज्ञापन हेतु कौन–कौन सी ऐजेंसिया अधिकृत हैं। इन एजेंसियों के साथ हुए अनुबन्ध एव बाय लाज सहित पत्रावलियां सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत करायी जाएं।
5. नगर निगम सीमा में कुल कितने प्रेक्षा गृह है। वर्ष 2020–2021 में उनसे प्राप्त आय की मांग वसूली पंजी प्रस्तुत की जाए।
6. विभिन्न आवासीय/अनावासीय भवनों की नाम परिवर्तन पत्रावली प्रस्तुत की जाए।

2. **लाइसेंस का नवीनीकरण न करने/लाइसेंस न बनाने से आर्थिक क्षतिः–**

आलोच्य वर्ष 2020–21 में लाइसेंस की अनुमानित एवं वास्तविक आय का विवरण निम्नवत था।

क्र0सं0	लाइसेंस का विवरण	वर्ष 2020 में अनुमानित आय	वास्तविक आय (2020–21)	कम आय	कमी का प्रतिशत
1	सामान्य लाइसेंस	10000000.00	3103996	6896004	68.96%

टिप्पणीः–

1. लाइसेंस पंजी प्रस्तुत करके वर्ष 2020–21 में बने लाइसेंस तथा उनके नवीनीकरण की स्थिति का सत्यापन कराया जाए।
2. लाइसेंस की वसूली की स्थिति अत्यन्त कम है इसे बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए तथा कृत कार्यवाही से भी सम्परीक्षा को अवगत कराया जाए।
3. लाइसेंस से सम्बन्धित बाय लाज (उप विधि) प्रस्तुत करके विभिन्न मदों के लाइसेंस बनाने या न बनाने की स्थिति स्पष्ट करें।

3. **पार्किंग की समुचित वसूली न करने से आर्थिक क्षतिः–**

1. आलोच्य वर्ष में बजट में रू0 1,50,00,000/– की अनुमानित आय के सापेक्ष वास्तविक आय रू 22,96,694/– प्राप्त हुई। इस प्रकार रू0 1,27,03,306/– कम आय हुई है। 84.69% कम आय हुई। यह स्थिति अत्यन्त ही असन्तोषजनक है तथा निगम के आर्थिक हितों के विरूद्ध है।
2. 01.04.2020 से 31.03.2021 तक दिये गये पार्किंग का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।
3. उन स्थानों का विवरण जहां 31.03.2020 तक पार्किंग थी परन्तु 01.04.2020 से 31.03.2021 तक पार्किंग नही दी गई है। कारण स्पष्ट किया जाए तथा कृत कार्यवाही से भी अवगत कराया जाए।

4. **निम्नलिखित मदों पर कम आय होने से आर्थिक क्षति–**

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष 2020–21 में अनुमानित आय	वर्ष 2020–21 की वास्तविक आय	आय में कमी	कमी का प्रतिशत
1.	अस्थायी प्रयोग भूमि	45,00,000.00	30,64,870.00	14,35,130.00	31.89%
2.	तरणताल	65,00,000.00	61,10,000.00	3,90,000.00	6%

टिप्पणीः–

1. दुकानों के नवीनीकरण से सम्बन्धित रजिस्टर प्रस्तुत किया जाए।
2. भवन एव दुकानों की सम्पत्ति पंजी प्रस्तुत करके उनके आबंटन तथा किराया का सत्यापन कराया जाए।

3. आवासीय भवनों के आबंटन का विवरण प्रस्तुत किया जाए साथ ही नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के आबंटन का विवरण तथा उनसे वसूल किये गये किरायों का सत्यापन कराया जाए।
4. जो कर्मचारी/अधिकारी नगर निगम से सेवानिवृत्त हो गए अथवा नगर निगम में कार्यरत नहीं हैं और उन्हे भवन आवंटित किया गया है, का विवरण प्रस्तुत किया जाए तथा उनके किराये की मांग वसूली तथा बकाया का विवरण प्रस्तुत करके सत्यापन कराया जाए।
5. नगर निगम सीमांतर्गत कुल कितने तरणताल है उन पर 31 मार्च 2020 तक कितना व्यय किया गया है। साथ ही 01.04.2020 से 31.03.2021 तक कितना व्यय हुआ। विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।
6. भूमि के किराये एवं सामुदायिक केन्द्रो से होने वाली आय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं आय पुस्तिकायें सम्परीक्षा में उपलब्ध करायी जाएं।
7. मेले, हाट प्रदर्शनी से आय बजट के अनुसार रू0 1,00,000 अनुमानित थी जिसमें वित्तीय वर्ष 2020–2021 में कोई आय प्राप्त नही हुई है जो नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है।

5. **गत वर्ष की तुलना में निम्नलिखित मदों पर कम आय होने से आर्थिक क्षति–**

क्र0सं0	मद	वास्तविक आय (2019–2020)	वास्तविक आय(2020–2021)	कम आय
1	लाईसेन्स	1,05,45,952.00	53,45,942.00	52,00,010.00
2	ठेका	1,19,68,313.00	24,22,629.00	95,45684.00
3	प्रेक्षाकर	11,60,320.00	5,37,420.00	6,22,900.00
4	विज्ञापन कर	5,16,31,565.00	80,89,487.00	4,35,42,078.00
	योग			**5,89,10,672.00**

टिप्पणी:–

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की उदासीनता के कारण रू0 5,89,10,672.00/– की आर्थिक क्षति हुई समुचित स्पष्टीकरण के अभाव में उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाए एवं इसकी प्रतिपूर्ति भी उत्तरदायी व्यक्ति से कराई जाए।

6. **पाईपलाइन मरम्मत के सत्यापनार्थ अभिलेख वांछित:–**

अभिलेख प्रस्तुत नही किए गए। आलोच्य वर्ष 2020–2021 पाईपलाइन की मरम्मत हेतु रू0 2,36,25,900/– का व्यय हुआ है। इसके साथ ही नई पाइपलाइन पर रू0 77,70,900/– का व्यय हुआ। इस सम्बन्ध में वर्ष 2020–2021 में कितनी पाईपलाइन कहाँ–कहाँ लगाई गई

हैं। इसका मानचित्र तथा विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए। इसके साथ ही 01–04–2020 तक कितनी पाईलाइन थी तथा वर्ष 2020–2021 में कितनी पाईपलाइन डाली गई। तथा 31 मार्च 2021 को कहाँ कहाँ कितनी पाईपलाइन है मानचित्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

7. **भूखण्ड, दुकान प्रीमियम व कांजी हाउस से आय शून्यः–**

   लगातार तीन वित्तीय वर्षों वर्ष(2018–2019), (2019–2020) व वर्ष (2020–2021) में भवन एवं भूखण्ड, दुकान प्रीमियम, कांजी हाउस, से कोई आय नहीं हो रही है। जो नगर निगम के आर्थिक हितों के विपरीत है अतः नगर निगम प्रशासन को इस सन्दर्भ में कोई नीति निर्मित कर इन्हे नीलामी के माध्यम से आय के उपाय करने चाहिए ताकि नगर निगम कोष में वृद्धि हो।

8. **सीवर व्यवस्था पर व्यय रू0 74,64,284 के सत्यापनार्थ अभिलेख वांछितः–**

   वर्ष 2020–2021 में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट रू0 7897000 के संचालन पर खर्च हुआ। नगर निगम सीमा में कितने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। इसका विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए साथ ही स्पष्ट किया जाए उनका संचालन किस तरह किया जा रहा है। साथ ही सीवर व्यवस्था पर व्यय रू0 74,64,284 का विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

9. **गंगाजल पेय योजना पर व्यय अकंन रू0 1,50,00,000/– से सम्बन्धित अभिलेख वांछितः–**

   वर्ष 2020–2021 में गंगाजल पेय योजना पर रू0 1,50,00,000/– का व्यय किया गया है वर्ष 2020–2021 में कितने लोगों को जल वितरण की व्यवस्था की गई है। विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

10. **बी0.ओ.टीः–**

    1. बी.ओ.टी से सम्बन्धित बाय लाज एवं पत्रावलियां प्रस्तुत की जाएं।
    2. वर्ष 2020–2021 में बी.ओ.टी से कितनी आय प्राप्त हुई, विवरण प्रस्तुत कराया जाए।

11. **जल संयोजन से सम्बन्धित अभिलेख वांछितः–**

    1. नगर निगम सीमा के अन्तर्गत कहाँ–2 जल संयोजन है तथा 31.03.2020 तक कहां–कहां जल संयोजन था और 01.04.2020 से 31.03.2021 तक कितने जल संयोजन की वृद्धि हुई विवरण प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।
    2. नगर निगम सीमा में बहुमंजली भवनों में कहाँ–2 जल संयोजन है विवरण प्रस्तुत कर मांग वसूली तथा बकाया का सत्यापन कराया जाए।

12. **मेला हाट प्रदर्शनी से कोई आय प्राप्त न किया जाना अनियमित:–**

1. वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट में रू0 1,00,000 की प्रस्तावित आय दर्शायी गयी थी जबकि वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोई आय प्राप्त की गई थी। कारण स्पष्ट किया जाए।

13. **यूजर चार्जेज:–**

1. **यूजर चार्जेज से सम्बन्धित अभिलेख वांछित:–**

I. आलोच्य वर्ष में रू0 10,00,00,000 का बजट प्रावधान था। किन्तु वास्तविक वसूली मात्र रू0 1,68,65,562/– की हुई थी इस प्रकार कुल वसूली का प्रतिशत मात्र 16.87% था। यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। इसका कारण स्पष्ट किया जाए तथा वसूली बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

II. यूजर चार्जेज की दर तथा मांग वसूली पंजी प्रस्तुत कर सत्यापन कराया जाए।

14. **वित्तीय वर्ष 2020–21 में सम्परीक्षा में उठाई साधारण आपत्तियों का विवरण:–**

A. **जलकल विभाग**

1. आन्तरिक लेखा परीक्षा में पत्रावली में निम्नलिखित गम्भीर अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं।

i. लीकेज मरम्मत, हैड पम्प मरम्मत, स्टोर आपूर्ति, आदि कार्यो हेतु वर्ष 2018–19 अथवा पूर्व के वर्षों के लिये गये कोटेशन के आधार पर आलोच्य वर्षो में भी कार्य कराया जा रहा है जबकि वित्तीय नियमों के अनुक्रम में निविदा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात नियमानुसार नवीन स्वीकृत दरो पर कार्य/आपूर्ति लिया जाना चाहिए।

ii. एक ही कार्य को छोटे–छोटे भागों में विभाजित करके अलग–अलग कंई पत्रावलियाँ बनाकर कोटेशन के आधार पर कार्य कराए जा रहे है। जबकि एक लाख से अधिक के कार्य/आपूर्ति होने पर अनिवार्यत निविदा के माध्यम से ही लिया जाय।

iii. वार्षिक मरम्मत/आपूर्ति/ एवं कार्य हेतु नियमानुसार स्वीकृत निविदा दाता की दरो पर अन्य प्रतिभागियों को विशेष परिस्थिति में कार्य/आपूर्ति लेते समय पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जाय। स्वीकृत दरों पर प्रतिभागी फर्मो को कार्य/आपूर्ति आदेश का आवंटन रोस्टर प्रणाली के माध्यम से चयनित करते हुए सक्षम स्तर से सवीकृति उपरान्त ही कराया जाय। Pick and choose पद्धति शासकीय कार्यो में कदापि अनुमन्य नही हैं, इस प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विशेष परिस्थितियों में गतवर्ष की दरों पर कार्य/आपूर्ति यदि कराया भी जाय तो पत्रावली पर वर्तमान प्रचलित स्वीकृत दरों के अनुक्रम में वित्तीय औचित्य (Financial Justification) का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होना चाहिए।

(पत्रांक:–30(1)/डी/मु0न0ले0प0/2020–21 दिनांक:–10.02.2021)

2. <u>भंडार लेखे की जांच हेतु निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा करें:–</u>

1. स्थायी सामग्री भंडार पंजी तथा अस्थायी सामग्री की भंडार पंजी।
2. विभिन्न जोनों/अनुभागों को भेजी गयी स्थायी प्रकृति की सामग्री की पंजी।
3. निर्गत सामग्री का मांग पत्र वर्ष 2018–2019 एवं 2019–2020।

(पत्रांक:–17/डी/मु0न0ले0प0/2020–21 दिनांक:–20.10.2020)

B. <u>लेखा विभाग</u>

निम्नलिखित अभिलेख नियमित रूप से सम्परीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत नही किये जा रहे हैं।

अतः कृपया निम्नलिखित अभिलेख सम्परीक्षा/जाँच हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

1. नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–75 के अनुसार रोकड़बही की प्रतिदिन जाँच की जानी चाहिए। 01 अप्रैल 2020 से इसका पालन नही किया जा रहा है। इसे आवश्यक जाँच हेतु प्रतिदिन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2. वर्गीकृत सारपंजी तथा मासिक लेखा भी जाँच हेतु प्रस्तुत नही किया जा रहा है। इसे सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाए।
3. अनुदानित आय एवं व्यय का मासिक विवरण भी प्रस्तुत नही किया जा रहा है। इसे सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(पत्रांक:–25/डी/मु0न0ले0प0/2020–21 दिनांक:–27.10.2020)

C. <u>जोनल प्रभारी:– कविनगर/विजय नगर/सिटी जोन/मोहन नगर/वसुंधरा जोन</u>
<u>कर से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध कराने हेतु।</u>

कृपया अपने जोन से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण/सूचनायें शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें–

1. कर निर्धारण सूची वर्ष (2019–2020)।
2. गृह कर/जल कर/सीवर कर की मांग वसूली का विवरण निम्नलिखित प्रारूप पर।
3. उन भवनों की सूची जिन पर कर आरोपित नही किया गया है तथा कर न आरोपित करने का कारण भी स्पष्ट करें।
4. आवासीय/व्यावसायिक भवनों का अलग–अलग विवरण।

1 अप्रेल 2019 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष में आरोपित कर	कुल मांग	वर्ष में वसूली	वर्ष में छूट	31 मार्च 2020 को बकाया

(पत्रांक:–11/डी/मु0न0ले0प0/2020–21 दिनांक:–19.09.2020)

D. नजारत विभाग

भंडार लेखे की जांच हेतु निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा करें:—

1. स्थायी सामग्री भंडार पंजी तथा अस्थायी सामग्री की भंडार पंजी।
2. विभिन्न जोनों/अनुभागों को भेजी गयी स्थायी प्रकृति की सामग्री की पंजी।
3. निर्गत सामग्री का मांग पत्र वर्ष 2018—2019 एवं 2019—2020।

(पत्रांक:—18/डी/मु0न0ले0प0/2020—21 दिनांक:—20.10.2020)

E. शहरी आजीविका केन्द्र (सी.एल.सी)

1. कृपया पत्रांक:—*2डी/मु0न0ले0परी0/2020—2021 दिनांक 09.06.2020* का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें गाजियाबाद नगर निगम में सी.एल.सी के माध्यम से आपूर्तित आउटसोर्सिंग कर्मियों की जमा ई.एस. आई.सी/ई.पी.एफ की जाँच हेतु आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु मांग की गई थी। जिनमें ई.पी.एफ.ओ रसीद केवल जुलाई 2019 व सितम्बर 2019 की ही प्राप्त हुई तथा Monthly Salary Sheet एवं पोर्टल यूजर आई डी व पासवार्ड उपलब्ध नही कराये गए हैं।

   अतः उपर्युक्त अभिलेख (06 माह की अवधि) के तथा पोर्टल यूजर आई डी एवं पासवार्ड एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गए समस्त अभिलेखों का मिलान एवं परीक्षण किया जा सके।

(पत्रांक:—07/डी/मु0न0ले0प0/2020—21 दिनांक:—03.07.2020)

2. कृपया नगर आयुक्त महोदय के आदेश सं0— 170/न0आ0/2020—2021 दिनांक 06 जून 2020 के द्वारा गाजियाबाद नगर निगम में सी0एल0सी के माध्यम से आपूर्तित आउटसोर्सिंग कर्मियों की जमा ई0एस0आई0सी/ई0पी0एफ का विस्तृत विवरण 03 दिन में परीक्षण कर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

   उक्त के क्रम में आपको पत्र 2/डी/मु0न0ले0परी0/2020—2021 दिनांक 09.06.2020 व पत्रांक:— 7/डी/मु0न0ले0परी0/ 2020—2021 दिनांक 03.07.2020 द्वारा सम्परीक्षा हेतु आवश्यक दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु पत्र जारी किए गए थे।

   आपके द्वारा जो पत्रजात् उपलब्ध कराये गये है इनमें माह नवम्बर 2019 में ई0पी0एफ/ई0सी0आर व आपूर्तित कर्मियों की सूची की सम्परीक्षा की गई।

   1. **कम्प्यूटर आपरेटर :—** शहरी आजीविका केन्द्र के माध्यम से नगर निगम गाजियाबाद में आपूर्तित कर्मियों के विवरण से ज्ञात हुआ कि 01 जुलाई 2019 में 67 क0 ऑपरेटर, सितम्बर 2019 में 6 क0 ऑपरेटर व तकनीकी सुपरवाइजर तथा 01 अक्टूबर 2019 को 2 क0 ऑपरेटर नगर निगम गाजियाबाद में आपूर्तित कराये गये।

इस प्रकार अक्टूबर 2019 माह तक कुल 75 क0 ऑपरेटर व तकनीकी सुपरवाईजर आपूर्तित दर्शाये गये हैं। निर्माण विभाग में आपूर्तित 6 कम्प्यूटर आपरेटर व तकनीकी सूपरवाईजर को एक साथ लिखा गया है जिससे स्पष्ट नही हो पा रहा कितने कम्प्यूटर ऑपरेटर हैं। तथा विभागीय सूची में 70 कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत दर्शाय गयें हैं इनमें से केवल 65 कम्प्यूटर ऑपरेटर का नाम ई0पी0एफ/ई0सी0आर चालान में अंकित है। अतः शेष कम्प्यूटर ऑपरेटर का ई0पी0एफ जमा न किया जाने का कारण स्पष्ट किया जाए।

2. <u>नजारत विभागः—</u> 01 अक्टूबर 2019 में नजारत विभाग में शहरी अजीविका के माध्यम से आपूर्तित कर्मियों की संख्या 42 लिखी हुई हैं जिनमे सफाई कर्मी, बढ़ई व ड्राइवर शामिल हैं जिनकी संख्या अलग अलग स्पष्ट नही लिखी गई है।

   नवम्बर 2019 के ई0पी0एफ/ई0सी0आर चालान में नजारत विभाग में सी0एल0सी द्वारा आपूर्तित कर्मियों के नाम नही पाये गये हैं। क्या इन कर्मचारियों का नवम्बर 2019 का ई0पी0एफ जमा नही है? स्पष्ट किया जाए।

3. <u>जलकल विभागः—</u> जलकल विभाग में 01 जुलाई 2019 को 75 सीवर कर्मी तथा 01 अगस्त 2019 को 6 ड्राईवर व चपरासियों की आपूर्ति दर्शायी गई है। जबकि एक अन्य सूची पम्प ऑपरेटरों के नाम की उपलब्ध कराई गई है। जिनकों कुल आपूर्तित कर्मचारियों में नही शामिल किया गया है अतः जलकल विभाग में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, उनकी कुल संख्या तथा पदवार स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया जाए।

4. <u>पम्प ऑपरेटरः—</u> हर्ष, अवधपाल सिंह, जयवीर, गीता देवी कैलाश आदि के नाम नवम्बर 2019 ई0पी0एफ ई0सी0आर चालान में नही पाये गये। इनकी नियुक्ति तिथि, वेतन, पद तथा सी0एल0सी के माध्यम से कुल आपूर्तित पम्प ऑपरेटर की स्पष्ट संख्या व उनका विवरण यू0ए0एन सहित उपलब्ध कराया जाए। कुछ पम्प ऑपरेटर के नामों में विभागीय सूची तथा ई0पी0एफ ई0सी0आर चालान में अन्तर पाया गया जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

5. माह दिसम्बर 2019 का ई0पी0एफ/ई0सी0आर चालान की सूची अस्पष्ट है। पृष्ठ संख्या 1 से 24 तक का प्रिंट पुनः उपलब्ध कराये।

   जलकल विभाग में कार्यरत अमित कुमार, प्रदीप कुमार राजकुमार अरविन्द शिवम् का नाम ई0पी0एफ/ई0सी0आर सूची में नही पाया गया। ये किस पद पर कार्यरत है? इनकी नियुक्ति तिथि ई0पी0एफ जमा करने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख नही किया गया है। नवम्बर 2019 में इनका ई0पी0एफ जमा न करने का कारण स्पष्ट किया जाये।

अतः कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अपनी बिन्दुवार विस्तृत आख्या 03 दिन के भीतर प्रस्तुत करें ताकि वस्तुस्थिति की आख्या नगर आयुक्त महोदय को उपलब्ध कराई जा सके।

(पत्रांकः—09/डी/मु0न0ले0प0/2020—21 दिनांकः—24.08.2020)

F. स्वास्थ्य विभाग

भंडार लेखे की जांच हेतु निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा करें:–

1. स्थायी सामग्री भंडार पंजी तथा अस्थायी सामग्री की भंडार पंजी।
2. विभिन्न जोनों/अनुभागों को भेजी गयी स्थायी प्रकृति की सामग्री की पंजी।
3. निर्गत सामग्री का मांग पत्र वर्ष 2018–2019 एवं 2019–2020।

(पत्रांक:–19/डी/मु0न0ले0प0/2020–21 दिनांक:–20.10.2020)

G. प्रकाश विभाग

भंडार लेखे की जांच हेतु निम्नलिखित अभिलेख उपलब्ध कराने की कृपा करें:–

1. स्थायी सामग्री भंडार पंजी तथा अस्थायी सामग्री की भंडार पंजी।
2. विभिन्न जोनों/अनुभागों को भेजी गयी स्थायी प्रकृति की सामग्री की पंजी।
3. निर्गत सामग्री का मांग पत्र वर्ष 2018–2019 एवं 2019–2020।

(पत्रांक:–16/डी/मु0न0ले0प0/2020–21 दिनांक:–20.10.2020)

उपसंहार

आय पक्ष, व्यय पक्ष, एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य एवं कर्मचारियों से सम्बन्धित पत्रालियों की स्थिति की समीक्षा करने पर पाया गया कि उक्त चारो पक्षों में आडिट आपत्तियों को संज्ञान में लेकर सुधार की आवश्यकता है। करों की वसूली विशेष रूप से सम्पत्ति कर, विज्ञापन स्थल का किराया, लाइसेन्स शुल्क, सीवरकर आदि से प्राप्त आय में बढ़ोत्तरी हेतु आवश्यक प्रयास किया जाना तथा अनावश्यक व्यय (डीजल, प्रेट्रोल तथा साज सज्जा आदि) पर यथा सम्भव नियन्त्रण रखा जाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठायी गयी विशेष आपत्तियों, साधारण आपत्तियों एवं विभागाध्यक्षों को प्रेषित पत्रों को यथा स्थिति मा0 महापौर महोदया, नगर आयुक्त, सम्बन्धित विभागाध्यक्षों एवं प्रभारी अधिकारियों को उनके निस्तारण तथा समुचित कार्यवाही हेतु समय–समय पर प्रेषित किया जाता रहा परन्तु पाया गया कि लेखा परीक्षा विभाग की आपत्तियों एवं भेजे गये पत्रों के प्रकाश में आय के समुचित संसाधन विकसित किये जाने, आडिट आपत्तियों को उत्तर प्रस्तुत करने तथा उनके निराकरण कराने के प्रति सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी तथा निगम प्रशासन द्वारा कभी कोई बैठक या कार्यशाला आयोजित नही की जाती। जिसके परिणामस्वरूप निगम आय में न तो आशातीत वृद्धि हो पा रही है न ही आय के नये आयाम विकसित हो पा रहे है। अनिर्णीत लेखा परीक्षा आपत्तियों के निस्तारण हेतु कोई प्रयास न किये जाने से उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है।

लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उठायी गयी आडिट आपत्तियों तथा पत्रों के प्रकाश में शासन स्तर से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु नगर निगम प्रशासन को समुचित आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। ताकि आन्तरिक आडिट की मूल अवधारणा का औचित्य निगम हित में स्थापित हो सकें। उपर्युक्त के अतिरिक्त यहाँ यह भी उल्लेख किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि आपत्तियों के उठाये जाने तथा पर्याप्त पत्र व्यवहार किये जाने के उपरान्त निगम प्रशासन द्वारा आडिट कार्य में अपेक्षित सहयोग नही किया जा रहा है न

ही वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं। प्रशासन द्वारा आडिट के प्रति असहयोगात्मक रवैया अपनाये जाने के कारण गम्भीर मामलों का पटाक्षेप हो पाना सम्भव नही हो पाता।

वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन को तैयार कराये जाये हेतु लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षक तथा कम्प्यूटर आपरेटर का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होने इस प्रतिवेदन को तैयार कराने में सहयोग प्रदान किया है।

नगर निगम प्रशासन तथा माननीय कार्यकारिणी समिति का ध्यान उपरोक्त तथ्यों की ओर इस आशय से आकृष्ट किया जाता है कि प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं पर प्रत्येक स्तर से कार्यवाही किया जाना आपेक्षित है।

(विवेक सिंह)

मुख्य नगर लेखा परीक्षक

नगर निगम गाजियाबाद।